न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 188 / 2023

अनवान : –

1. किरण पुत्री शुभकरण जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली संरक्षक नाना महेंन्द्र पुत्र मलाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. अनुकुमारी पुत्री शुभकरण जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली संरक्षक नाना महेंन्द्र पुत्र मलाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. आरजू पुत्री शुभकरण जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली संरक्षक नाना महेंन्द्र पुत्र मलाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. अवनतिका पुत्री शुभकरण जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली संरक्षक नाना महेंन्द्र पुत्र मलाराम जांति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र भागुराम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जात्ति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. इन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. रामेती पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
5. धापा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6. सरोज पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक: 15/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ेही मोजा चक न. 8 बारानी तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 144 / 109 के प.न. 403 / 466 (51) कि.न. 1 / 1 की 0.2410, 2 / 1 की 0.2410, 3 / 1 की 0.1360, 8 / 2 की 0.1260, 9 ता 12 की 1.0120, 13 / 1 की 0.1270, 18 / 2 की 0. 1260, 19 ता 22 की 1. 0120, 23 [illegible] 3.1470 हैक्टेयर भूमि में से 617 / 3147 हिस्सा भूमि में सायलान ब.हि.ब. 1 / 7 [illegible] 6 ब. हि.ब. 6 / 7 हिस्सा के काबिज खातेदार कास्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि काफी वर्षों पूर्व खरीद की थी एवं परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण विवादित भूमि का बैयनामा गैर सायलान न. 1 के नाम करवा दिया गया था जो पैतृकि जदी जायदाद भूमि है जिसमें गैरसायलान न. 2 ता 6 एवं शुभकरण पुत्र रामचन्द्र का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है एवं शुभकरण पुत्र रामचन्द्र के हिस्सा के हकदार सायलान ही है। सायलान एवं गैर सायलान संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न. 1 सायलान का दादा एवं गैरसायलान न. 2 ता 6 का पिता है व परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो गैरसायलान न. 1 को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण प्राप्त हुई है जिसमें सायलान एवं गैरसायलान न. 2 ता 6 का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है। सायलान एवं गैर सायलान संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न. 1 सायलान का दादा एवं गैरसायलान न. 2 ता 6 का पिता है व परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है गैरसायलान न. 1 की मानसिक स्थिति सही नहीं है वह गैरसायल न. 2 के असर में है उन्होने 10 बिघा भूमि पूर्व में भी अपने नाम दर्ज करवाली है अब उसको भूमि बैय करने की आवश्यकता नहीं है उसके बावजुद भी वह विवादित भुमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बिना किसी आवश्यकता के सम्पुर्ण भूमि को रहन वैय एवं मुतंकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायलान, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 8 बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 144/109 के प.नं. 403/466 (51) कि.नं. 1/1 की 0.2410 है0, कि.नं. 2/1 की 0.2410 है०, कि.नं. 3/1 की 0.1360 है०, कि.नं. 8/2 की 0.1260 है०, कि.नं. 9 ता 12 की 1.0120 है०, कि.नं. 13/1 की 0.1270 है०, कि. नं. 18/2 की 0.1260 है०, कि.नं. 19 ता 22 की 1.0120 है0, कि.नं. 23/1 की 0.1260 है० कुल 3.1470 है० वादभूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयीं।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त [illegible] की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19[illegible] की [illegible] के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम [illegible] सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि काफी वर्षों पूर्व हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से खरीद की थी एवं परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण विवादित भूमि का बैयनामा गैर सायलान न. 1 के नाम करवा दिया गया था जो पैतृकि जदी जायदाद भूमि है जिसमें गैरसायलान न. 2 ता 6 एवं शुभकरण पुत्र रामचन्द्र का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है एवं शुभकरण पुत्र रामचन्द्र के हिस्सा के हकदार सायलान ही है य परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested